BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 मार्च, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट की घटना कारित करने के 03 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. योगेश पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम दयानतपुर थाना बाबूगढ जनपद गाजियाबाद (हालपता जनपद हापुड), 2. कर्मवीर सिंह पुत्र टेकराम निवासी ग्राम साधारनपुर थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर, 3. कुलदीप पुत्र सतवीर निवासी ग्राम सदरपुर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद, द्वारा वर्ष-2006 में थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत 17 लाख रुपये, 01 गाडी व 01 लाईसेंसी बंदूक लूटने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 18.09.2006 को थाना स्याना पर मुअसं- 139/06 धारा 395,412,120बी भादवि व 3(1) गैंगस्टर एक्ट पजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.03.2007 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त कर्मवीर सिंह के विरुद्ध थाना स्याना पर मुअसं-584/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त योगेश, कर्मवीर सिंह, कुलदीप को 07-07 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार वर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।